

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़ आई०ए०एस०

GCMS No. 2021/262

(Bank Case)

Manual no- 114/2021

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय- 9<sup>th</sup> फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400021 एवं शाखा कार्यालय- इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रेम शंकर शर्मा

- प्रार्थी

## बनाम

1. श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह (ऋणी / बंधककर्ता)  
पता: मं.नं. 2-बी-10, तलवण्डी, कोटा (राज.)
2. श्रीमती ज्योति चौहान पत्नि श्री प्रद्युमन सिंह चौहान (सह-ऋणी)  
पता: मं.नं. 2-बी-10, तलवण्डी, कोटा (राज.)

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री अमर सिंह, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक:- 17-11-2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, जिसका पंजीकृत कार्यालय- 9<sup>th</sup> फ्लोर, चन्द्रमुखी, नरीमन पॉइंट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400021 एवं शाखा कार्यालय- इन्द्रप्रस्थ इण्ड. एरिया, कोटा में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थीगण ने ऋण खाता संख्या 4023253560 को दिनांक 18.09.2018 को 11,70,000/- (अक्षरे: रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार मात्र), ऋण खाता संख्या 4024798897 को दिनांक 25.09.2018 को 35,00,000/- (अक्षरे: रुपये पैंतीस लाख मात्र), ऋण खाता संख्या 4029325519 को दिनांक 24.01.2019 को 12,00,000/- (अक्षरे: रुपये बारह लाख मात्र), कुल ऋण रुपये 58,70,000/- (अक्षरे: रुपये अठ्ठावन लाख सत्तर हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप में अचल सम्पत्ति श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह की आवासीय सम्पत्ति जो कि मं.नं. 2-बी-10, तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं जिसका माप लगभग 2324.16 वर्ग फीट है चतुःसीमा पूर्व में- 2-बी-11, पश्चिम में- 2-बी-9, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- 2-बी-25,26 जो कि राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वत्त कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 3379 दिनांक 31.10.12 से श्री प्रद्युमन सिंह पुत्र श्री यदुनाथ सिंह का स्वामित्व है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिगत व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 29.01.2021

2  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी उसके खाते में 47,24,765.91 (अक्षर: सेतालीस लाख, चौईस हजार सात सौ पेशठ रूपये व इकरानवें पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 05.07.2021 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों को उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। नोटिस प्राप्त के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है। अतः उपरोक्त धर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 05.07.2021 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी प्रेषित किये। इसके बावजूद के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी की अचल सम्पत्ति श्री प्रद्युमन सिंह चौहान पुत्र श्री यदुनाथ सिंह की आवासीय सम्पत्ति जो कि मं.नं. 2-बी-10, तलवण्डी, कोटा (राज.) पर स्थित है। जिसमें भूमि भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है जिसका माप लगभग 2324.16 वर्ग फीट है चतुःसीमा पूर्व में- 2-बी-11, पश्चिम में- 2-बी-9, उत्तर में- रोड, दक्षिण में- 2-बी-25, 26 जो कि राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वत्त कोटा के कार्यालय आदेश क्रमांक 3379 दिनांक 31.10.12 से श्री प्रद्युमन सिंह पुत्र श्री यदुनाथ सिंह का स्वामित्व है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो। सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे।

आदेश आज दिनांक 17-11-2021 को सुनाया गया।

(उज्ज्वल राठौड़)

जिला मजिस्ट्रेट

कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (राज०)

